विहंगावलोकन

कम्प्यूटर साफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल्स और अनुषंगियों इस्पात और व्यापार के चयनित क्षेत्रों में चयनित कम्पनियों के निर्धारण पर समीक्षा

लेखापरीक्षा में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के प्रयोग की जांच करने और कर की प्रभावी दर एवं कर व्यय को निर्धारित करने तथा इन क्षेत्रों की चयनित कम्पनियों द्वारा स्वैच्छिक कर अनुपालना के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर, आटोमोबाइल्स तथा अनुषंगी, इस्पात तथा व्यापार के चयनित क्षेत्रों से संबंधित निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 से सम्बन्धित चयनित कम्पनियों के निर्धारणों की समीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आया कि अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अधीन निर्धारित चयनित कम्पनियों के कर की प्रभावी दर निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के लिए 20 प्रतिशत, 27 प्रतिशत, 17 प्रतिशत अनुमानित की गई और अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत सभी लाभों के संबंध में कर व्यय क्रमशः 915.3 करोड़ रूपए, 768.7 करोड़ रूपए तथा 2287.6 करोड़ रूपए थे। अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अधीन निर्धारित चयनित कम्पनियों की स्वैच्छिक अनुपालना विचाराधीन अवधि के दौरान सुधर गई है। इसके अलावा स्वैच्छिक अनुपालना उन कम्पनियों के संबंध में उच्च है जिन्होंने विचाराधीन सभी तीन वर्षों में लाभ दर्शाया है और उन कम्पनियों जिन्होंने तीन वर्षों में केवल एक या दो वर्षों में लाभ दर्शाया है, की तुलना में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अधीन निर्धारित की गई।

लेखापरीक्षा में चार चयनित क्षेत्रों में सभी चयनित कम्पनियों के निर्धारणों में 1508.83 करोड़ रूपए के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त विभिन्न प्रकार की 559 गलतियां ध्यान में आईं, चाहे उनका अधिनियम के सामान्य प्रावधानों अथवा विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारण किया गया। कम्प्यूटर क्षेत्र में धारा 10ए/10बी के अन्तर्गत छूटों से सम्बन्धित 266.73 करोड़ रूपए की राशि की अनियमितताएं ध्यान में आईं। अनुषंगियों और व्यापार क्षेत्र सहित ऑटोमोबाइल में मूल्यह्रास और हानियों के समंजन की अनुमति से संबंधित 308.43 करोड़ रूपए की राशि की अनियमितताएं ध्यान में आईं। इस्पात क्षेत्र में अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय की संगणना के सम्बन्ध में 91.60 करोड़ रूपए की राशि की अनियमितताएं ध्यान में आईं।

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि

- कम्पनियों के लाभ प्रतिमान में अन्तर/अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अधीन निर्धारण को संवीक्षा के लिए मामलों का चयन करते समय अधिक वरीयता दी जा सकती थी।
- मूल्यह्रास तथा हानियों के समंजन से संबंधित दावों को अन्तिम उपलब्ध निर्धारण अभिलेखों के साथ मिलाकर देखना चाहिए ताकि समंजन की सत्यता सुनिश्चित की जा सके।
- सरकार धारा 10 ए/10 बी के अन्तर्गत कटौतियों, अध्याय VI ए के अन्तर्गत कटौतियों और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय की संगणना के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है ताकि निर्धारण पूरे करते समय अधिक स्पष्टता सुनिश्चित

की जा सके। सरकार को राजस्व हानि की प्रमात्रा को ध्यान में रखकर लेखापरीक्षा यह सिफारिश करता है कि विभाग का आन्तरिक नियंत्रण तंत्र सुदृढ़ किया जाय ताकि बेहतर मानीटरन तथा अभिलेखों का मिलान, निर्धारण अधिकारियों के बीच समन्वय में सुधार तथा उच्च गुणवत्ता निर्धारण हो सकें।

टी डी एस/टी सी एस योजनाओं के कार्यान्वयन पर समीक्षा

इस समीक्षा में लेखापरीक्षा में स्रोत पर कर की कटौती/ संग्रहण के लिए दायी संभावित कटौतीकर्ताओं/ कार्यकलापों की पहचान की सीमा और अनिवासियों और निवासियों दोनों के सम्बन्ध में टी डी एस/टी सी एस से सम्बधित अधिनियम के प्रावधानों के लागू करने का सत्यापन करने का प्रयास किया गया। लेखापरीक्षा में ई-टी डी एस योजना के लेखांकन और कार्यान्वयन से सम्बन्धित मुद्दों का भी सत्यापन किया गया।

दो सौ छयालीस टी डी एस यूनिटों, 174 नियमित निर्धारण इकाइयों और 15 अन्तर्राष्ट्रीय कराधान इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी और 32,630 मामलों की नमूना जांच की गयी। लेखापरीक्षा में 12814 मामलों में गलतियां पाई गई जिसमें 389.20 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था; इसकी उद्ग्राह्य शास्ति 63.23 करोड़ रूपए थी। अनिवासियों/विदेशी कम्पनियों के 82 मामलों में गलतियाँ पाई गईं जिसमें 204.19 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। लेखापरीक्षा में 16 मामलों में स्रोत पर कर का संग्रहण करने की चूक से सम्बन्धित गलतियां पाई गईं जिनमें 3.90 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

लेखापरीक्षा द्वारा संगृहीत डाटा में बीमा कमीशन, पुनर्बीमा कमीशन, अनिवासियों को भुगतानों और शराब की बिक्री से टी डी एस और टी सी एस के लिए बड़ी संभाव्यता दर्शायी गयी।

ई- टी डी एस योजना के मूल्यांकन में दर्शाया गया कि दाखिल की गयी ई- टी डी एस विवरणियां व्यापक रूप से साफ्टवेयर सम्बन्धी कठिनाईयों और प्रशिक्षित श्रमबल की अपर्याप्तता के कारण पिछले तीन वर्षों के लिए कार्रवाई किए बिना रहीं।

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि

- मंत्रालय अधिनियम के अन्तर्गत यथापेक्षित करजाल में सभी कर कटौतीकर्ताओं को लाने और टी डी एस/टी सी एस की वसूली करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकता है।
- निर्धारण में संगतता को सुनिश्चित करने और राजस्व की हानि को विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय कराधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र में रोकने के लिए पर्याप्त प्रवर्तन तंत्र विकसित किया जाए। टी डी एस और नियमित निर्धारण इकाइयों और आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र के मध्य भी समन्वय को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- साफ्टवेयर से सम्बन्धित कठिनाइयों और प्रशिक्षित श्रमबल में अपर्याप्तता पर तुरन्त ध्यान दिया जाए ताकि ई-टी डी एस विवरणियों पर कार्रवाई की जाए और सरकार को देय राजस्व की उगाही की जाए।

खेल संघों/संस्थानों और खेल व्यक्तियों के निर्धारण पर समीक्षा

लेखापरीक्षा ने खेल संघों और खेल व्यक्तित्व को दी गई छूटों की यथार्थता, सभी खेल संघों और खेल व्यक्तित्व को कर दायरे में लाने के लिए विभाग के प्रयासों की पर्याप्तता, किये गये निर्धारणों में अनियमितताओं और गलतियों के परिहार के लिए विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा और आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की दक्षता और प्रभावकारिता को अभिनिश्चित करने के मद्देनजर 1999-2000 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान पूरे किए गए खेल संघों/संस्थानों और खेल व्यक्तित्वों के निर्धारणों की समीक्षा की।

लेखापरीक्षा में अनियमितताओं के कुल 158 मामले पाए गए जिनमें 190.92 करोड़ रूपए का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। इनमें से 179.80 करोड़ रूपए के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त अनियमितताओं के 130 मामले खेल संघों/संस्थानों के सम्बन्ध में थे और 11.12 करोड़ रूपए के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 28 मामले खेल व्यक्तित्वों के सम्बन्ध में थे।

लेखापरीक्षा में खेल संघों/संस्थानों और खेल व्यक्तित्वों को प्रदान की गयी अनियमित छूटों और कटौतियों, खेलने वाले व्यक्तियों को किए गए भुगतानों से स्रोत पर कर की कटौती न करने, खेल संघों/ संस्थानों के मामले में विवरणी दाखिल न करने और विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों में असंगतता के मामले पाए गए। लेखापरीक्षा में बड़ी संख्या में खेल संघ/संस्थान और खेल क्लब भी पाए गए जिनको कर जाल में लाना अपेक्षित है, किए गए संचयन और इसके उपयोग के सम्बन्ध में कमजोर आंतरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण तंत्र था। खेलकूद वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में ऐसे मामले पाए गए जहां उस आय के सम्बन्ध में कटौतियां अनुमत की गयीं जो खिलाडी की क्षमता में अर्जित नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि

- मंत्रालय खेल संघों/संस्थानों/ क्लबों और खेल व्यक्तित्वों को दी गई छूटों के दुरूपयोग को न्यूनतम करने के लिए संभाव्य मामलों पर केन्द्रित करने के लिए इसके ए एस टी डॉटाबेस का उपयोग कर सकता है।
- विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र को निवेश के वर्षवार ब्यौरों, अनुबद्ध अवधि के अन्दर विशिष्ट प्रयोजन के लिए इसके उपयोग की जांच करने और यदि आय/संचित आय को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए संघों/संस्थानों को स्थापित किया गया था, की जांच करने के लिए सुदृढ़ किया जाए
- मंत्रालय किये गये निर्धारणों में अनियमितताओं और गलतियों, कर अपवंचन और छूटों के दुरूपयोग के परिहार के लिए अपनी आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ कर सकता है।